

29⁸/₂₄

रीडर

पत्रावली पेशा हुई वादी मय आपिक्स्ता उपस्थित
नहीं। एए-2 विपिवर आवाज लभाने पर भी
वादी व आपिक्स्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं।
प्रतिवादीगण के सम्मन 2 वर्ष से भी अधिक समय
से पेशा नहीं किए जाने से वादी का वाद ठाढ़ा
9 नियम 5 में स्वरीज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा